C.C. No/340/-04-05

23.04.18

अभिलेख उपस्थापित। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुजू द्वारा श्री/श्रीमति ..... पता ..... अमर चन्द्र मुण्डा S/O दरबारी मुण्डा छोटका चुम्बा के विरूद्ध राशि मो0 ..... 3383/- तीन हजार तीन सौ तिरासी वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

पुर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 248 दिनांक 24.02.16, पत्रांक 288 दिनांक 27.06.16, पत्रांक 1097 दिनांक 08.09.16, पत्रांक 1339 दिनांक 24.10.16, पत्रांक 1115 दिनांक 24.08.17 एवं पत्रांक 1245 दिनांक 16.09.17 द्वारा शाखा प्रबंधक कुजू को पंजी IX से X के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नही उठाया गया। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नही हो पाया। फलस्वरूप यह नही पता चल पाया कि बकायेदार पर कितना राशि बकाया है तथा कितना वसूल हो चुका है।

पुनः कार्यालय पत्रांक 11 दिनांक 04.01.18 एवं पत्रांक 45 दिनांक 13.01.18 द्वारा शाखा प्रबंधक को निदेश दिया गया कि निर्धारित तिथि को रजिस्टर IX से X से मिलान करने हेतु अद्योहस्तक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नही होने पर वादों में प्रथम पक्ष की अभिरूचि नही रहने के कारण स्थगित कर दिया जायगा, परन्तु इसके बावजुद भी शाखा प्रबंधक द्वारा कोई अभिरूचि नही लिया गया, तथा पंजी IX से X का मिलान नही हो पाया। जिसके कारण बकायेदारों की क्या स्थिति है, पता नही चल पाता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष की अभिरूचि नही लेने एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लघंन करने तथा वाद का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कुजू, LDM, रामगढ़ तथा मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को दें।

अंचल अधिकारी

माण्डू